खण्ड-1 अंक-1 दिसम्बर, 2005 कुल 5 पृष्ठ

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण- कौशाम्बी (उ0प्र0) द्वारा प्रकाशित मासिक समाचार पत्र

सं दे श

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि जनपद कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा "ग्रामीण भारत" नामक मासिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। कौशाम्बी जैसे पिछडे जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गति देते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जनपद की सर्वांगीण प्रगति में महती भूमिका है। इसमें जन जागरूकता का विशेष महत्व हो जाता है। आशा है कि विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने में यह पत्रिका कारगर सावित होगी।

शुभ-कामनाओं सहित।

(डा0 सच्चिदानन्द पाठक)
जिलाधिकारी,
कौशाम्बी

सं दे श

भारतीय ग्रामीण समाज में बहुसंख्यक लोग, जो निचले पायदानों पर खडे हैं तथा गांधी जी के अन्तिम व्यक्ति के उन्नयन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिकों के विकास के उद्देश्यों को लेकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए "ग्रामीण भारत" मासिक पत्रिका का यह प्रथम अंक इस आशा के साथ प्रकाशित किया जा रहा है कि जनपद कौशाम्बी के निचले पायदानों पर खडे हुए लोगों एवं गांधी के अन्तिम व्यक्ति के विकास में यह पत्रिका मील का पत्थर सावित होगी।

सद्-कामनाओं सहित।

(एन0पी0सिंह)
परियोजना निदेशक/सम्पदक,
कौशाम्बी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएं

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस0जी0एस0वाई0)
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0जी0आर0वाई0)
3. इन्दिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0)
4. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) (पी0एम0जी0वाई0)
5. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0)
6. विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (एम0एल0ए0-लैडस)
7. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एम0पी0-लैडस)
8. राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर0एस0वी0वाई0)

भारत गांवों का एवं कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसीलिए कहा जाता कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था "जय जवान-जय किसान"। आज उसी "किसान" की प्रगति एवं विकास के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कई विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इस तरह के "समाचार पत्रों" का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारत जैसे विशाल देश में जहां संस्कृति एवं परम्परा के सत्व का अपार भण्डार है, परन्तु तमाम आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं के कारण विकास के मामले में काफी पीछे छूट जाने से समाज में असन्तुलन परिलक्षित होने लगा है। इसी असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से चलायी जा रही योजनाओं को सही दिशा एवं दशा में मूर्तरूप देने के लिए "ग्रामीण भारत" जैसे समाचार पत्र के माध्यम से जन सहभागिता का आवाहन करते हुए इसकी सफलता में सहयोग की अपेक्षा करना एक सार्थक कदम है।

भारत के निर्माण में एक कदम वढाये-
विकास की एक ज्योति जलायें।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

गरीबी उन्मूलन की आई0आर0डी0पी0 (एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम) योजना के वांछित परिणाम न प्राप्त होने की दशा में योजना की कमियों को दूर करते हुए एक समेकित स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसे "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार" योजना के नाम से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है तथा उनके द्वारा शुरू किये गये व्यवसाय से यह अपेक्षा है कि प्रत्येक स्वरोजगारी को प्रत्येक माह कम से कम 2000.00 रू की आमदनी का लक्ष्य रखा गया है।

आकांक्षा स्वयं सहायता समूह द्वारा "टेन्ट हाउस" एक्टिविटी के अन्तर्गत कार्य का निरीक्षण करते खण्ड विकास अधिकारी-चायल

योजना में गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 स्वरोजगारियों को संगठित कर एक समूह बनाया जाता है। इस प्रकार बने समूह को "स्वयं सहायता समूह" कहा जाता है। समूह किस प्रकार के क्रिया-कलाप का चयन करे, इसके लिए आवश्यक है कि वह स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आसानी से कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।चयनित क्रियाकलापों को ऐसा होना चाहिए कि स्वरोजगारी एक निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर समुचित स्थायी आय प्राप्त हो सके ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर आने में सक्षम हो जांए।

योजना के अन्तर्गत 50 हजार रू0 तक व्यक्तिगत एवं 5 लाख रू0 तक समूह को दिये जाने वाले ऋण के लिए किसी वस्तु को बन्धक बनाने की आवश्यकता नहीं है।परियोजना लागत का 30 प्रतिशत और अधिकतम 7500 रू0 सामान्य श्रेणी के स्वरोजगारी के लिए तथा कुल लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम 10000 रू0 अनुसूचित जाति/जनजाति व विकलांग स्वरोजगारी के लिए अनुदान हो सकता है बशर्ते परियोजना की लागत 10000 रू0 प्रति व्यक्ति अथवा 1.25 लाख रू0 प्रति समूह हो।

योजना की अधिक जानकारी के लिए खण्ड विकास अधिकारी या फिर जनपद के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक से सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई सामाजिक, आर्थिक एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ खाद्य सुरक्षा सहित मजदूरों को रोजगरा मुहैया कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है।कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा जोखिम वाले व्यवसायों से अलग किये गये बच्चों के अभिभावकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में वरीयता दी जाती है।

योजना पूर्व में संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना के सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2001 में लागू की गयी है।कार्यक्रम का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय पंचायत ों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में संसाधनों का मात्राकरण किया जाता है।

यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है।जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 100 करोड मानव दिवस सृजित किये जाने की परिकल्पना की गयी है।योजना के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले प्रत्येक मजदूर को प्रति श्रम दिवस कम से कम 5.0 किग्रा0 खाद्यान्न (गेहूं/चावल) दिये जाने का प्राविधान किया गया है।शेष मजदूरी के भुगतान का स्वरूप नकद होता है।नकद मजदूरी के भुगतान का प्रतिशत कम से कम 25 होना चाहिए।

एस0जी0आर0वाई0 योजना से जिला पंचायत द्वारा निर्मित परियोजना

योजनान्तर्गत पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय आवश्यकतानुसार कार्यो का चयन कर सकती हैं।ग्राम सभा के कार्यो का अनुमोदन ग्राम पंचायतें संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करते हुए कार्यो का निष्पादन करती हैं।इस स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत की निधियों का उपयोग अनुसूचित जाति/जनजाति की आवादी वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के विकास कार्यों में तथा जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत समितियों के हिस्से के 22.5 प्रतिशत संसाधनों को अनुसूचित

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

जाति/जनजाति को आर्थिक और सामाजिक परिसम्पत्तियां प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की निजी भूमि पर विकास कार्य करने के लिए निर्धारित किया गया है।योजनान्तर्गत 30 प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित करके विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

योजना में निम्नलिखित प्रकार के कार्य करने की मनाही है :-

1. धार्मिक कार्यो के लिए भवन जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि बनाने।
2. स्मारक, स्मृति स्थल, प्रतिमा, धार्मिक मूर्ति, मेहराव द्वार/स्वागत द्वारा आदि के निर्माण।
3. पुल बनाने।
4. हायर सेकेण्ड्री/ सीनियर सेकेण्ड्री स्कूलों के लिए भवन बनाने।
5. कालेजों के लिए भवन बनाने।
6. सडकों पर तारकोल विछाने।

किसी भी कार्य के निष्पादन में ऐसी मशीनों को जो ठेकेदारों तथा मजदूरों की जगह ले सकती हैं, शामिल करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा योजना के अन्तर्गत कार्यो के निष्पादन में बिचौलियों/मध्यवर्ती एजेंसियों को नियुक्त नहीं किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों के पास विकास खण्डवार माह दिसम्बर, 2005 तक उपलब्ध संसाधन का विवरण निम्नवत है :-

क्र0	वि0ख0/जि0पं0	उपलब्धता	
		णकद लाख रू में	खाद्यान्न मी0टन में
1	चायल	44.12	384.54
2	नेवादा	83.81	789.44
3	मूरतगंज	80.96	757.53
4	कौशाम्बी	80.14	756.26
5	मंझनपुर	72.35	673.55
6	सरसवां	78.52	734.98
7	कडा	79.68	756.09
8	सिराथू	123.55	1162.81
9	जि0पं0 कौशा0	159.95	1503.80

कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाती है।बाहरी संस्थाओं से योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का मूल्यांकन भी किया जायेगा।जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियां ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगी।

जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी कार्यो के निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है।चुनिन्दा कार्यो का सत्यापन करने के लिए निगरानीकर्ता/अधिकारी भी मनोनीत किये जाते हैं।

इन्दिरा आवास योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई पात्रता सूची के आधार पर आवास विहीन पात्र लाभार्थियों का चयन कर आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है।योजना का शुभारम्भ वर्ष 1985 में इसी उद्देश्य से किया गया था।योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।योजना के अन्तर्गत दो श्रेणी के आवासों हेतु आर्थिक सहायता दी जारी है:-

- Ø नवीन आवास
- Ø स्तरोन्नयन आवास

नवीन श्रेणी के आवासों हेतु 25000.00 एवं स्तरोन्नयन श्रेणी के आवासों हेतु 12500.00 की धनराशि को लाभार्थियों के खाते में सीधे दो किश्तों में हस्तांतरित किया जाता है।वर्ष 2005-06 में जनपद के 1360 आवासों के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 453 स्तरोन्नयन एवं 907 नवीन श्रेणी के आवासों का आवंटन योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार कर दिया गया है।आवास निर्माण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की स्वयं होती है।दैवी आपदा श्रेणी के लाभार्थियों को त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले स्तर पर 80 आवास आरक्षित करते हुए विकास खण्डवार आवंटित लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	विकास खण्ड	लक्ष्य	
		नवीन	स्तरोन्नयन
1	चायल	62	29
2	नेवादा	99	51
3	मूरतगंज	116	58
4	कौशाम्बी	89	45
5	मंझनपुर	96	49
6	सरसवां	122	63
7	कडा	154	80
8	सिराथू	106	61

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास योजना)

इन्दिरा आवास योजना की तरह इस योजना के अन्तर्गत भी गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीव परविारों के पात्र लाभार्थियों का ग्राम सभा की खुली बैठक में स्थायी पात्रता सूची के अनुसार चयन कर ग्रामीण आवासों का निर्माण कराया जाता है। इस योजना की सम्पूर्ण धनराशि का

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चयन एवं आवास की श्रेणी हेतु इन्दिरा आवास योजना की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

जनपद में इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मूरतगंज का वर्ष 2004-05 में चयन कर 5000.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सोधित करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का उपभोग करते हुए द्वितीय किश्त के अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद की यमुना तराई क्षेत्र में पडने वाले विकास खण्ड सरसवा के लिए 5000.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल की नई परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को इसी वर्ष प्रेषित किया गया है।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड मूरतगंज की निर्माणाधीन परियोजना पर कार्यरत मजदूर

योजना एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें निधियां पांच किश्तों में अवमुक्त की जाती हैं। परियोजना के स्वीकृति के साथ साथ 15 प्रतिशत की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाती है तथा शेष किश्ते तिमाही प्रगति रिपोर्ट, उपभोग प्रमाण पत्र, पूर्व वर्षो के लेखों का लेखा परीक्षण विवरण तथा सांस्थानिक व्यवस्थाओं के संतोषजनक संपादन का साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद अवमुक्त किया जाता है। 6000.00 रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से धनराशि स्वीकृत की जाती है। योजना के अन्तर्गत धनराशियों को निम्न घटक के अनुसार व्यय किये जाने का प्राविधान है:-

कार्य	-	85 प्रतिशत
प्रशिक्षण और समुदाय संगठन	-	05 प्रतिशत
प्रशासनिक प्रभार	-	10 प्रतिशत

योजना को "हरियाली गाइड लाइन-2003" दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा जनपद हेतु एक पी0आई0 "रामगंगा कमाण्ड परियोजना, नैनी इलाहाबाद" को नामित किया गया है। योजना की जानकारी जन सामान्य को देने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते हैं।

आई0डब्लू0डी0पी0 के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, जो डी0पी0ए0पी0 अथवा डी0डी0पी0 के तहत नहीं आते हैं। परियोजना के क्रियान्वयन में 6000 रू0 प्रति हेक्टेयर की लागत में 5500 रू0 भारत सरकार द्वारा एवं 500 रू0 उ0प्र0 सरकार द्वारा जलागम प्रतिपादन हेतु स्वीकृत किया गया है। परियोजना को 4-5 वर्षो में पूर्ण किया जाना है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

योजना के अन्तर्गत विधान सभा/विधान परिषद के मा0 सदस्यों को अधिकृत किया गया है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 100.00 लाख की परियोजनाओं को प्रस्तुत/संस्तुत कर सकते है। इन परियोजनाओं को जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्राथमिक प्राक्कलन आदि तैयार कर परीक्षणोपरान्त स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति धनराशि का 75 प्रतिशत अवमुक्त की जाती है।

विधायक निधि योजना से उदय श्याम उ0मा0 विद्यालय, विकास खण्ड सिराथू में निर्माणाधीन शिक्षण कक्ष

प्रथम किश्त के उपभोग प्रस्तुत करने एवं उसके सत्यापन के उपरान्त शेष 25 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जाती है। कार्यो का चयन मा0 प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जाता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (सांसद निधि)

योजना के अन्तर्गत लोक सभा/राज्य सभा के मा0 सदस्यों को अधिकृत किया गया है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 200.00 लाख की परियोजनाओं को प्रस्तुत/संस्तुत कर सकते है। इन परियोजनाओं को जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्राथमिक प्राक्कलन आदि तैयार कर परीक्षणोपरान्त स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति धनराशि का 75 प्रतिशत अवमुक्त की जाती है।

प्रथम किश्त के उपभोग प्रस्तुत करने एवं उसके सत्यापन के उपरान्त शेष 25 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

जाती है। कार्यो का चयन मा० प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जाता है। योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ सांसद को समिति का अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा बनाया गया है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर०एस०वी०वाई०)

भारत सरकार द्वारा चिन्हित पिछडे जनपदों क ग्रामीण विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम विकास योजना की शुरूआत की गयी। वर्ष 2004-05 में जनपद कौशाम्बी का भी चयन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत तीन वर्षो के लिए 4500.00 लाख रू0 की कार्ययोजना स्वीकृत हुई। जिसमें 1500.00 लाख रू0 अव तक जनपद को प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2004-05 में 21.08 किमी0 सम्पर्क मार्गो के निर्माण के साथ चेक डैम, दुग्ध विकास के कार्यक्रम, विद्युत परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं एवं भूमि संरक्षण आदि के कार्यक्रमों पर अब तक 1205.35 लाख रू0 की धनराशि का उपभोग किया जा चुका है जो उपलब्ध धनराशि का 80.36 प्रतिशत है।

अन्य काल्याणकारी कार्यक्रम

पेंशन/छात्रवृत्ति योजनाएं

- निराश्रित विधवा पेंशन योजना
- विधवा से विवाह करने पर दम्पति पुरस्कार योजना
- दहेज से पीडित महिला को आर्थिक सहायता योजना
- बालिका समृध्दि योजना
- किसान/वृद्धावस्था पेंशन योजना
- पारिवारिक लाभ योजना
- विकलांग पेंशन योजना
- छात्रवृत्ति योजनाएं

सर्व शिक्षा अभियान

स्वजलधारा योजना

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम

सम्पादक मण्डल

जिलाधकारी, कौशाम्बी	: संरक्षक
मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी	: प्रधान सम्पादक
परियोजना निदेशक, DRDA कौशाम्बी	: सम्पादक
जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी	: उप सम्पादक
सहायक अभियन्ता, DRDA कौशाम्बी	: तकनीकी सम्पादक
लेखाकार, DRDA कौशाम्बी	: प्रूफ रीडर तकनीकी विषेशज्ञ
कम्प्यूटर प्रोग्रामर, DRDA कौशाम्बी	: समाचार सम्पादक

“ग्रामीण भारत” मासिक पत्रिका को बहुउपयोगी बनाने हेतु आपके सुझाव/टिप्पणी निम्न पते पर आमंत्रित है :-

“ग्रामीण भारत”
विकास भवन, (कम्प्यूटर कक्ष)
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी।
E-Mail : drda-kos@up.nic.in
Phone : 05331-232605

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या G.O./152/स्था0-5/2004 दिनांक 05.01.2005 के परिपालन में
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण-कौशाम्बी
द्वारा प्रकाशित

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com